कार्यालय
क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना (म० प्र०)
Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120
E-mail: fdptr@rediffmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

प्रेस नोट

दिनांक 27.3.2010 को 10 बजे के आस–पास चन्द्रनगर परिक्षेत्र के बीट रैपुरा कक्ष क्रमांक 658 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मादा तेंदुआ मृत पाया गया। प्रकरण की छान–बीन एवं विवेचना से स्पष्ट हुआ कि रैपुरा बीट से लगे हुए टपरियन गांव के खेतों के आस–पास फसल सुरक्षा की दृष्टि से अवैध रूप से लगे फंदा में यह मादा तेंदुआ फस कर मृत्यु का प्राप्त किया था। तदुपरान्त खेत के मालिक के द्वारा इस तेंदुआ का लाकर उपरोक्त उल्लेखित स्थान पर फेंक दिया गया। तेंदुए के सभी अवयब सुरक्षित हैं। एक केनाइन दांत एवं 2 मोलार दांत टूटे पाये गये गये हैं। संभवतः फंदे को छुड़ाने की दिशा में उनके द्वारा दांत से काटने से यह दांत टूट गये होंगे। अभी तक इस प्रकरण में 2 लागों को हिरासत में लिया गया है। उनके नाम– लल्ल व नत्थू चमार वल्द कटुआ साकिन टपरियन है। लल्ले चमार के खेत से जो तेंदुआ मृत पाया गया था, उसके वदन से निकले फंदे की तरह एक दूसरा लोहे का फंदा एवं नंगे बिजली का तार जप्त किया गया है। पी.ओ. आर. क्रमांक 498/06 दिनांक 27.3.2010 जारी कर प्रकरण में विवेचना जारी है।

इसके अतिरिक्त अन्य तीन लोगों के द्वारा इन खेतों की बागड़ पर खेत के मालिकों के द्वारा नंगे बिजली के तार भी लगाये गये हैं। इन तार लगाने वालों के नाम राम स्वरूप वल्द हरिश्चन्द्र पटेल, रधवा वल्द लल्लू आदिवासी, शंकर वल्द किलकइया पटेल हैं। इन सभी के खेतों में नंगे बिजली के तार व खूंटी जप्त किये गये हैं।इनके विरुद्ध अलग से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही जारी है।

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाईगर रिजर्व,पन्ना